संपादकीय जागरण

सोमवार, 13 अगस्त, 2018 : श्रावण शुक्ल 2 वि. 2075

बुराई का परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता

आरक्षण की सच्चाई

अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों के उपवर्गीकरण की संभावनाओं का पता लगाने के लिए गठित रोहिणी आयोग की ओर से मिले संकेत यदि यह रेखांकित कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण का लाभ चुनिंदा जातियों ने उठाया है तो इसमें हैरानी नहीं। इस स्थिति को बयान करने वाले आंकड़े उपलब्ध भले न हों, लेकिन हर कोई यह जान रहा है कि हकीकत क्या है। यह विसंगति केवल ओबीसी आरक्षण तक ही सीमित नहीं है। यही हालत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को मिले आरक्षण में भी है। अब जब ओबीसी आरक्षण में उपवर्गीकरण की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि एससी-एसटी आरक्षण में भी ऐसा हो। नीति-नियंता और राजनीतिक दल इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि यह आरक्षण में विसंगति अर्थात सभी पात्र जातियों को समुचित लाभ न मिल पाने का ही प्रतिफल है कि जहां ओबीसी की कुछ जातियां अनुसूचित जाति का दर्जा चाह रही हैं वहीं कुछ अनुसूचित जातियां जनजाति के रूप में अपनी गिनती कराना चाहती हैं। ओबीसी आरक्षण का अधिकतम लाभ उठाने वाली जातियां आमतौर पर वही हैं जो सामाजिक एवं आर्थिक रुप से अपेक्षाकृत सक्षम हैं। इन्हें पिछड़ों में अगड़े की संज्ञा दी जा सकती है। अलग-अलग राज्यों में पिछड़ों में अगड़े का दर्जा रखने वाली जातियां भिन्न-भिन्न हैं, लेकिन वे हैं सभी राज्यों में। इनमें से कुछ जातियां तो राजनीतिक रूप से भी प्रभावी हैं। इसके चलते उनका शासन में भी दबदबा है और कहीं-कहीं तो प्रशासन में भी। इसका कोई मतलब नहीं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर प्रभावी जातियां आरक्षण का लाभ उठाती रहें।

यदि समर्थ जातियों के लोग आरक्षण का लाभ लेते रहेंगे तो वे कहीं न कहीं अन्य ऐसी जातियों के अधिकारों का हरण ही करेंगे जो आरक्षण के दायरे में होने के बावजूद उसके न्यूनतम लाभ से वंचित हैं। समय आ गया है कि न केवल ओबीसी आरक्षण के तहत आने वाली जातियों का उपवर्गीकरण हो, बल्कि उन जातियों को आरक्षण के दायरे से अलग भी किया जाए जो अब आरक्षण का पात्र नहीं रह गई हैं। हालांकि क्रीमी लेयर की व्यवस्था इसी मकसद से की गई है, लेकिन उससे अभीष्ट की पूर्ति नहीं हो पा रही है। पता नहीं ऐसी कोई व्यवस्था एससी-एसटी आरक्षण में क्यों नहीं है? जैसे यह एक तथ्य है कि भारतीय समाज को समरस बनाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है वैसे ही यह भी कि इस व्यवस्था में कई विसंगतियां हैं। आरक्षण का लाभ कुछ समर्थ जातियों के खाते में जाना केवल एक विसंगति है। अन्य विसंगतियों की चर्चा इसलिए नहीं होती, क्योंकि आरक्षण को राजनीतिक रूप से एक नाजुक मसला बना दिया गया है। परिणाम यह है कि कुछ ऐसी जातियां भी आरक्षण की मांग कर रही हैं जो इसके लिए पात्र नहीं हैं। विडंबना यह है कि वे आरक्षण की अपनी मांग मनवाने के लिए हिंसक तौर-तरीके भी अपना रही हैं। बेहतर हो कि ओबीसी जातियों के उपवर्गीकरण की दिशा में आगे बढ़ने के साथ ही आरक्षण की बढ़ती मांगों का भी कोई समाधान निकालने की कोशिश हो। यह कोशिश सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत ही होनी चाहिए।

बिजली चोरी पर अंकुश

पॉवर कॉरपोरेशन का धीरे-धीरे कायाकल्प होने लगा है। नए कदम के तौर पर बिजली चोरी रोकने या बड़े बिजली चोरी को पकड़ने का खास इंतजाम किया जा रहा है। बिजली के बड़े उपभोक्ता और खासकर हाईवोल्टेज के कनेक्शनों में खपत पर नजर रखने, विद्युत चोरी रोकने और समय से सही बिल पहुंचाने जैसे कार्यों के लिए सभी विद्युत वितरण निगमों में एचवी ऑडिट सेल का गठन किया गया है। सेल द्वारा सभी हाईवोल्टेज उपभोक्ताओं की ऑटोमेटेड मीटर रीडिंग (एएमआर) के जरिये बिजली खपत पर नजर रखी जाएगी। देखा जाए तो घरेलू और व्यावसायिक दोनों ही स्तर पर बिजली की मांग बढ़ी है। इसके साथ ही उत्पादन और आपूर्ति में भी इजाफा हुआ है लेकिन, उसके मुकाबले विभागीय वसूली में कमी हमेशा से ही चिंता का विषय रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह रही है विद्युत चोरी।

पर्याप्त आपूर्ति सुचारु रखने के लिए बिजली महकमे को आय बढ़ानी पड़ेगी, इसके लिए अभी और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है

विद्युत चोरी के जिम्मेदार या तो विभाग के कुछ भ्रष्ट कर्मचारी-अधिकारी रहे हैं या फिर अभी तक कोई ऐसा तंत्र विकसित नहीं हो सका है, जो आपूर्ति, खपत और वसूली का सटीक तुलनात्मक आंकड़ा प्रस्तुत कर सके या फिर बिजली चोरी की बेहतर निगरानी कर सके। यही कारण है कि निगम लगातार हर साल अरबों रुपये के घाटे में रहे हैं। अब योगी सरकार में हालात बदले हैं। न केवल सभी क्षेत्रों में पर्याप्त आपूर्ति होने लगी है, बल्कि राजस्व वसूली भी तेज हुई है। चूंकि प्रदेश का औद्योगीकरण तेजी से बढ़ रहा है, इसी के साथ बिजली की मांग भी बढ़ रही है, इसलिए पर्याप्त आपूर्ति सुचारु रखने के लिए बिजली महकमे को आय बढ़ानी पड़ेगी। इस दिशा में अभी और भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या इंग्लैंड दौरे पर भारतीय बल्लेबाजी की लचर दशा वहां पर्याप्त अभ्यास मैच की कमी का नतीजा है?

आज का सवाल

क्या अंतरिक्ष में कार्रवाई के लिए स्पेस फोर्स बनाने का अमेरिका का फैसला सही है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

सिर उठाती विभाजनकारी राजनीति

हृदयनारायण दीक्षित

विभाजक राजनीति सर्वनाशी है। हम भारतीय इतिहास से नहीं सीखते। अलगाववादी सांप्रदायिक राजनीति के कारण ही भारत टूटा था

राष्ट्र सर्वोच्च आस्था है। बीसवीं और इक्कीसवीं सदी का संवैधानिक सत्य। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरिता का आचरण हम भारत के लोगों की संवैधानिक निष्ठा है। यह संवैधानिक कर्त्तव्य भी है, लेकिन संप्रति राजनीतिक लाभ के लिए राष्ट्र की अखंडता को भी चुनौती दी जा रही है। असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी विवाद में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान विभाजनकारी है। उन्होंने कहा है कि इससे गृहयुद्ध और रक्तपात जैसी स्थिति बनेगी। अपने सांप्रदायिक और अलगाववादी बयानों के लिए चर्चित असदुद्दीन ओवैसी भी भड़काऊ भाषा बोल रहे हैं। अन्य दलों के भी कई नेता राष्ट्रीय एकता और अखंडता पर हमलावर हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की बात पृष्ठभूमि में है। वोट बैंक प्रथम वरीयता है। विदेशी घुसपैठियों के वोट पर भी नजर है। उनका मजहब देखा जा रहा है। असम जैसे संवेदनशील राज्य में विदेशी घुसपैठियों की समस्या पुरानी है। पश्चिम बंगाल में भी इसे संरक्षण मिला है। बनर्जी ने उन्हें अपने राज्य में बसाने की बात पहले ही कह दी थी। विघटन और विभाजन हमेशा दुखदायी होते हैं। उनके विरोध में खड़े होना ही आदर्श राजनीति है, लेकिन असम के साथ ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेज असम क्षेत्र को ईसाईकृत स्वतंत्र क्षेत्र बनाना चाहते थे। लॉर्ड वावेल के समय 'ट्राइबल क्राउन कॉलोनी' की योजना बनी। बात नहीं बनी। पं. नेहरू ने असम को तोड़कर नगालैंड बनाया। प्रश्न है कि क्या विघटन का कोई विकल्प नहीं था? फिर इंदिरा गांधी ने मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल बनाए। राजीव गांधी ने विद्रोही लाल डेगा को मिजोरम सौंपा। अंग्रेज यहां ईसाईकरण चाहते थे। इस्लामी शक्तियां इसे अपने रंग में रंगने को बेताब थीं। ढाका के नवाब सलिमउल्ला खां ने 1906 में बंगाल के मुसलमानों को असम में बसाने की योजना बनाई। भारत विभाजन के समय मोहम्मद अली जिन्ना असम को पूर्वी पाकिस्तान के लिए मांग रहे थे। कैबिनेट मिशन में असम को पूर्वी पाकिस्तान से जोड़कर मुस्लिम बहुल बनाने की योजना थी, लेकिन गोपीनाथ वारदोलाई ने कड़ा विरोध किया। बात अटक गई। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 'मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस' में लिखा था 'भारत-पाक के बीच कश्मीर अकेला मुद्दा नहीं। पूर्वी पाकिस्तान से जुड़ा क्षेत्र (असम) भी शामिल है। शेख मुजीब ने 'ईस्टर्न पाकिस्तान-इट्स पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक्स' में लिखा कि पूर्वी पाकिस्तान की बढ़ती आबादी की समस्या समाधान के लिए असम को जोड़ लेना ही उचित होगा।' फिर घुसपैठियों की आमद बढ़ती गई।

पहले असम मुस्लिम बहुल नहीं था। अचानक भारी आबादी की बढ़त का कारण क्या है? 1941 के अविभाजित भारत में 84.44 प्रतिशत हिंदू और 13.38 प्रतिशत मुस्लिम थे। फिर 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना में पाकिस्तानी-बांग्लादेशी मुस्लिम आबादी घट गई। तब हिंदू 87.24 प्रतिशत हो गए और मुस्लिम 10.43 प्रतिशत ही रह गए। 2001 की भारतीय जनगणना में मुस्लिम बढ़कर 13.42 प्रतिशत हो गए। 2011 की जनगणना के अनुसार असम की मुस्लिम आबादी 34.22 प्रतिशत है। यह 2001 में सिर्फ 30.9 प्रतिशत ही थी। इसी तरह पश्चिम बंगाल में 2001 में मुस्लिम 25.2 प्रतिशत थे और 2011 में 27 प्रतिशत हो गए। मुस्लिम आबादी की भारी बढ़त चौंकाने वाली है। क्या इसका मूल कारण प्रजनन दर ही है। आबादी की यह बढ़त विदेशी घुसपैठ का परिणाम क्यों नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय ने विदेशी बांग्लादेशी घुसपैठ को राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध बताया था। इसी आदेश के अनुसार उनकी पहचान का काम चला। फिर भी वरिष्ठ नेता विघटनकारी बयानबाजी कर रहे हैं। गृहयुद्ध की धमकी वाले बयान विभाजन की वृत्ति को हवा देने वाले हैं। विदेशी घुसपैठियों के प्रति 'ममता' का कोई कारण तो होना ही चाहिए। ममता जी ही इस ममता की असली वजह बता सकती हैं। ओवैसी की लाइन साफ है। ऐसे महानुभाव राष्ट्रीय एकता को महत्व नहीं देते। देश क्षुब्ध है।

भारत सभी क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। यही उन्नति अलगाववादियों की आंखो की किरकिरी है। राजनीति का एक धड़ा अलगाववाद को बढ़ावा देता है। शत्रु राष्ट्र को सहायता मिलती है। आइएसआइ भारत में अशांति चाहती है। उसके लिए घुसपैठिए कच्चा माल हैं। आतंकी घुसपैठियों से सुरक्षाबल जूझ रहे हैं, लेकिन इसमें किराए के पत्थरबाज भी हैं। वे पाकिस्तानी झंडा लेकर हमला करते हैं। सुरक्षाबलों का संयम आश्चर्यजनक है, लेकिन राजनीति आतंकियों को बचाने वाले पत्थरबाजों के प्रति भी सहानुभूति रखती है। उसे अलगाववादियों और विदेशी घुसपैठियों के वोट चाहिए। कश्मीरी पत्थरबाजों और घुसपैठियों के हिमायतियों में अंतर क्या है? पत्थरबाज आतंकियों को सुरक्षा कवच देते हैं, कुछ नेता निंदनीय बयानों के पत्थर चलाकर घुसपैठियों व अलगाववादियों को सुरक्षित बनाते हैं। इससे विभाजनकारी शक्तियां मजबूत होती हैं। जनतंत्र का ऐसा दुरुपयोग भारत के अलावा दुनिया के किसी अन्य देश में नहीं मिलता।

अवधेश राजपूत

विभाजक राजनीति सर्वनाशी है। हम भारतीय इतिहास से नहीं सीखते। अलगाववादी सांप्रदायिक राजनीति के कारण ही भारत टूटा था। गांधी जी भी भारत विभाजन नहीं रोक पाए। मुस्लिम लीग ने भारत के भीतर दो राष्ट्र बताए थे। उन्होंने मजहब के आधार पर अलग मुल्क मांगा, लेकिन राष्ट्र के गठन और निर्माण का आधार मजहब नहीं होता। मजहब ही राष्ट्र गठन का आधार होता तो पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश न बनता। जिन्ना भारत तोड़ने में कामयाब रहे। भारत टूट की त्रासद घटना के बावजूद विघटनकारी राजनीति की चाल बेढंगी ही है। ऐसी राजनीति के पुरोधा हिंदू पाकिस्तान बनने की धमकी देते हैं। यह अलगाववाद को बढ़ावा देती है। राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता के तत्वों को नष्ट करती है। ऐसी राजनीति का गुरूत्वाकर्षण सिर्फ वोट है।

'हम भारत के लोग' प्रकृति और संस्कृति से उदात्त और सहिष्णु हैं। हम विघटनकारी विचार को भी राजनीति में जगह देते हैं? आखिर राजनीति का मूल ध्येय क्या है? भारतीय चिंतन और संविधान में राजनीति का लक्ष्य लोककल्याण है। भारत को तोड़कर कोई भी राजनीति संभव नहीं हो सकती। भारत के जनगणमन को 'असहिष्णु' बताकर भी राजनीति नहीं हो सकती। इतिहास मार्गदर्शक होता है। इतिहास से सीख लेने वाले राष्ट्र गलतियां नहीं दोहराते। इतिहास की उपेक्षा करने वाले राजसमाज इतिहास में श्रेष्ठ स्थान नहीं पाते। पूर्वजों ने सचेत रूप में भारत का विकास किया। कहीं-कहीं अचेत काम भी हुए। इसलिए हम कई बार गुलाम भी हुए। डॉ. राममनोहर लोहिया ने लिखा, 'हिंदुस्तान क्यों बार-बार गुलाम हो जाता है? खराबी साफ है कि हम बहुत झुक जाते हैं। हर चीज से समझौता कर लेते हैं। हम आत्मसमर्पण की क्षति खत्म करना सीखें और यह तभी होगा जब आप हिंदू समाज में तेजस्विता लाने की कोशिश करोगे।' डॉ. लोहिया की अपील हिंदुओं से है। हम न झुके होते तो न पाकिस्तान होता और न ही कश्मीर के पत्थरबाज। तब ऐसी विभाजनकारी राजनीति का जन्म भी न होता।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

सियासी उठापटक से बचा मानसून सत्र

राजनीतिक मतभेद किनारे किए जाएं तो संसदीय कार्यवाही सुचारू रूप से चल सकती है

आशुतोष झा

सामाजिक न्याय से जुड़े व जनोपयोगी विधेयकों के लाने से विपक्ष के पास समर्थन के अलावा कोई चारा नहीं था

अभी-अभी संसद का मानसून सत्र खत्म हुआ है जिसने पिछले लगभग बीस वर्षों का रिकार्ड ध्वस्त कर दिया। कारण क्या है- लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में बहुत कामकाज हुआ। वह संसद जिसका काम ही है ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करना और जरूरी कानून बनाना, वहां ऐसा हुआ तो यह हमारे लिए उपलब्धि है..? विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते हम इस पर गर्व करें या अफसोस करें कि यह समझना मुश्किल है। खैर, यह तो समझ में आ गया कि हर एक विवाद का समाधान है। बड़ी गंभीर स्थिति हो या घोर चुनावी माहौल, उसमें भी संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सकती है। शर्त इतनी है कि सत्तापक्ष और विपक्ष इसके लिए तैयार हो। मानसून सत्र ने इसकी राह दिखा दी। यह और बात है कि इस बार भी तैयारी केवल राजनीतिक दांवपेच की थी। इसमें विपक्ष चूक गया और सत्तापक्ष ने ऐन वक्त पर गेंद को लपक लिया। ऐसे में क्या यह भरोसा किया जा सकता है कि भविष्य में भी संसद सत्र उतना ही सफल हो जितना इस बार हुआ? तीन महीने बाद ही चार राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव को तो 2019 के लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में जब सत्र शुरू हुआ था तो विपक्ष और खासकर कांग्रेस महंगाई, लिंचिंग यानी भीड़ की हिंसा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दलित उत्पीड़न जैसे कई मुद्दों के साथ तैयार थी। जैसा अक्सर होता है यही मुद्दे पूरे सत्र में छाने वाले थे, क्योंकि हर चुनाव इन्हीं विषयों पर लड़े जाने की बात होती है।

आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और एक दूसरे को आईना दिखाया जाता है, लेकिन कांग्रेस चूक कर गई। रणनीति के स्तर पर भी और नेतृत्व क्षमता के मानक पर भी। पहले ही दिन विपक्ष की ओर से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और कुछ चौंकाने वाले अंदाज में सरकार ने न सिर्फ उसे स्वीकार किया, बल्कि दो दिन के अंदर ही उस पर चर्चा कराकर वोटिंग भी करा दी। जाहिर है कि विपक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा मुद्दे बारह घंटे में खत्म हो गए। राजनीतिक रूप से यह कांग्रेस की भयंकर भूल थी, क्योंकि सरकार के संख्याबल को देखते हुए उसका जीतना तय ही था, यह विपक्ष को भी पता था। टीडीपी जैसे क्षेत्रीय दल को जरूर इसका कुछ लाभ मिल जाए, लेकिन कांग्रेस का हाथ न सिर्फ खाली रहा, बल्कि जल भी गया। जिस सत्र को कांग्रेस अपने चुनावी अभियान और विपक्षी महागठबंधन का आधार

बनाने वाली थी वहीं से पार्टी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़ा हो गया। एक पखवाड़े में ही दो बार मुंह की खानी पड़ी। राज्यसभा में उपसभापति चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व कठघरे में खड़ा हो गया। दरअसल बार-बार यह साबित हुआ है कि कांग्रेस विपक्षी दलों को एक नहीं कर सकती है। अगर आम आदमी पार्टी जैसा छोटा दल और उसमें दूसरी और तीसरी पांत के नेताओं की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष पर सीधी उंगली उठाई गई तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस किस कदर फिसली।

शायद यही कारण है कि आखिरी एक दो दिनों में खोई हुई सियासी जमीन हासिल करने की कोशिश हुई। जो सत्र सुचारू चल रहा था वह बाधित हुआ। खासकर आखिरी दिन खुद संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी को सामने आना पड़ा। महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे खड़े होकर वह प्रदर्शन का नेतृत्व करती देखी गईं। मुद्दा बना राफेल खरीद जिसे कांग्रेस राजग सरकार के लिए बोफोर्स बनाना चाहती है। हालांकि यह देखना रोचक होगा कि कांग्रेस के अंदर कितना बड़ा वर्ग इससे सहमत है, क्योंकि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कांग्रेस असमंजस में दिखी। पहले तो खुद राहुल गांधी ने इसे भ्रष्टाचार बताया और पूरे देश में राजनीतिक मुद्दा बनाने का संदेश दिया, क्योंकि उन्होंने साफ-साफ कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति से बात हुई है और उन्होंने कहा कि राफेल की सच्चाई पूरे देश को बताओ मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन राहुल ने किसी जांच की बात नहीं की थी। कुछ दिन बाद एक कांग्रेस नेता ने संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी जांच की मांग सामने रखी, लेकिन बाकी कांग्रेसी चुप रहे। बाद में कांग्रेस ने एक सुर से जेपीसी की मांग की। इस बीच दूसरे विपक्षी दलों के लिए राफेल बड़ा मुद्दा नहीं रहा। जाहिर है कि महागठबंधन भी सवालों में रहा।

मानसून सत्र की सफलता का मुख्य कारण यही है। यह कहना बहुत अनुचित नहीं होगा कि मुख्य विपक्ष का मनोबल ध्वस्त हो गया था। ऐसे में जब सरकार की ओर से सामाजिक न्याय से जुड़े व जनोपयोगी विधेयक लाए गए तो विपक्ष के पास समर्थन के अलावा कोई चारा नहीं था। सार्थक बहस एक तरह से मजबूरी थी और इसी दबाव में कांग्रेस को ओबीसी आयोग विधेयक पास करते वक्त अपने ही एक ऐसे संशोधन को रद भी करना पड़ा जिसे राज्यसभा में पार्टी ने पारित किया था। यह दबाव न होता तो मानकर चलिए कि असम में एनआरसी जैसे मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस के शोर-शराबे को और बल मिलता। जो भी हो, यह समझ में आ गया कि संसद को सुचारू चलाना हो तो सभी विवादित मुद्दे शुरुआत के दो तीन दिनों में निपटा दिए जाने चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे राज्यसभा में प्रश्न काल को सुचारू करने के लिए शून्यकाल सबसे पहले लिया जाने लगा है, लेकिन इसके लिए विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों को बड़ा दिल दिखाना होगा।

इस बार सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए हामी भर दी थी। रणनीति के तहत ही सही और वह सफल भी हुई तो सत्ताधारी भाजपा अपनी पीठ थपथपाते हुए भी दिखी। वरना कोई भूला नहीं है कि पिछले सत्र के आखिरी दस-बारह दिन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कैसे राजनीति हुई थी। सरकार किसी की भी रही हो और विपक्ष में कोई भी दल किसी भी संख्याबल के साथ हो, ऐसा कोई सत्र नहीं गुजरा जब आधा सत्रकाल भी सुचारू रूप से चला हो। इस बार तो ठीक सामने चुनाव है, फिर भी बीस साल का इतिहास टूटना आशा जगाता है। राजनीतिक दल अगर चाहें तो संसद चुनावी मैदान से अलग ऐसी महान संस्था के रूप में दिख सकती है जहां बात उपलब्धि तक सीमित न रहे, बल्कि मानक स्थापित हो सके।

(लेखक दैनिक जागरण के राष्ट्रीय ब्यूरो प्रमुख हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

परोपकार

मानव जीवन जितना खुली आंखों से दिखता है, उतना ही रहस्यमय भी है। रहस्य इसलिए है, क्योंकि एक दिन जीता-जागता व्यक्ति इस संसार में नहीं रहता। मृत्यु का सच सामने आने के बाद जीवित लोग भी अपरिचित व अदृश्य भय से भर जाते हैं। यह डर सबको लगता है। निर्धन, धनवान सभी मनुष्य इससे पीड़ित होते हैं। निर्धन मानव रोजगार के लिए संघर्ष करता है। उसका जीवन परिश्रमी होता है। इन गुणों के आधार पर उसका समय सदुपयोगी होकर व्यतीत होता रहता है। परिश्रमधर्मिता के बल पर वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है।

धनवान व्यक्ति के पास जीने के लिए सुख-सुविधाएं विरासत में उपलब्ध हैं। आज बहुत लोग संसाधन-संपन्न हैं। अपनी समृद्धि की उपयुक्तता सिद्ध करने के लिए उन्हें सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के जीवन को भी समृद्ध बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्हें अपनी धन-संपत्ति का उपयोग निर्धनता का उन्मूलन करने में करना चाहिए। निर्धन लोगों के परिश्रम को मान-सम्मान देने सहित उन्हें अच्छा पारिश्रमिक भी देना चाहिए। परोपकार का यह सूत्र निश्चय ही संसार में मानवता को बढ़ाएगा। अमीर लोगों को यह विचार अवश्य करना चाहिए कि जीवन क्षणभंगुर है। इसे जितना अधिक कल्याणकारी कार्यों में लगाया जाए, उतना अच्छा प्रतिफल प्राप्त होगा। आधारभूत जीवन आवश्यकताओं से पूर्ण मनुष्यों को अपनी दैनिक समझ को नए कोण से परखना होगा। किसी बात, अनुभव को वे अब तक जिस वर्षों पुराने दृष्टिकोण से देखते आए हैं, उसमें अल्प परिवर्तन भी यदि वे करते हैं तो जीवन का उत्प्रेरक तत्व उन्हें स्पष्ट दिखाई देने लगेगा।

निःसंदेह यहां से उनका जीवन संघर्षशील लोगों के लिए परोपकारी आयाम बन कर खड़ा होगा। समाज के बड़े व शक्तिशाली लोगों को अपनी तन-मन-धन की शक्तियों को गरीब जनता के उत्थान में लगाना चाहिए। इस उपक्रम से दो काम अवश्य होंगे। गरीबों का भला तो होगा ही, अमीर भी आनंदित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। भौतिक जीवन संबंधी विचारधाराओं का आधिकारिक प्रतिनिधित्व करने वाले धनी व्यक्तियों से निर्धन लोग भी उपकार-परोपकार का ऐसा पाठ सीखेंगे तो समाज सुखी और समृद्ध अवश्य बनेगा।

विकेश कुमार बडोला

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

आम चुनाव की मुश्किल डगर

संजय गुप्त का अपने लेख 'विपक्षी एकता की कमजोर कड़ी' में राज्यसभा में बहुमत न होने के बाद भी सत्ता पक्ष के उम्मीदवार की जीत को 2019 के आम चुनाव के संदर्भ में विपक्ष के लिए एक झटका बताना वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की एक हकीकत भले ही हो, लेकिन इससे यह समझ लेना कतई उचित नहीं होगा कि अब सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष की कोई चुनौती ही नहीं है। केंद्र की भाजपा सरकार ने अपनी दलित वोट बैंक की नीति के तहत जो दांव खेला है, उससे उसके परंपरागत सवर्ण वोटबैंक में खासी नाराजगी है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर जिस तरह से गरमाहट पैदा हो रही है, उससे इस नाराजगी का अंदाजा लगाया जा सकता है। दलित एक्ट के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के एक सही निर्णय को अध्यादेश के जरिये पलटना लोगों के गले नहीं उतर रहा। कमोबेश यही स्थिति प्रोन्नति में आरक्षण को लेकर पैदा हो रही है। ऐसे में यह मान लेना कि 2019 की डगर सत्ता पक्ष के लिए मुश्किल नहीं होगी, ठीक नहीं होगा। कभी-कभी एक चूक सारे किए-धरे को चौपट कर देती है। दलित एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के सही फैसले को पलटना भाजपा सरकार से हुई एक ऐसी ही चूक है। बहरहाल इन स्थितियों में यह सुनिश्चित है कि अब 2019 के आम चुनाव की डगर सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों के लिए बहुत मुश्किल हो गई है।

pandeyvp1960@gmail.com

गौ सदन जरूरी

गाय जिसे हिंदू धर्म में माता के नाम से जाना जाता है और उसकी पूजा की जाती है। उसके दूध को अमृत के समान माना जाता है। आज उसी गौ माता की हालत बहुत दयनीय है। आज उसकी इतनी बुरी हालत है कि उसके लिए कुछ करना तो दूर उसे सहारा देने के लिए भी लोग आगे नहीं आते। आज जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं, ताकि उन्हें उस पर खर्च या उसकी सेवा ना करनी पड़े। सरकार गौ सदनो का निर्माण कराए ताकि बेसहारा गायों को सहारा मिल सके।

akpappu|z@gmail.com

उन्माद के खिलाफ चिंता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध और भीड़-तंत्र द्वारा उन्माद के खिलाफ चिंता जाहिर करते हुए सबको राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की सलाह दी है, जो कि स्वागत योग्य है। अगर सरकार और प्रशासन ईमानदारी से काम करे तो उन्मादी घटनाओं पर काबू पाया जा सकता है।

mahesh_nenava@yahoo.com

कैसी भक्ति ?

भगवान भोले नाथ ने मानव कल्याण के लिए न केवल हलाहल पीया, अपितु शुभ ही शुभ करने के लिए असीम धैर्य व सहनशक्ति का परिचय भी दिया। लेकिन उनके भक्तों ने कुछ नहीं सीखा। उप्र के बुलंदशहर व मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने जो हुड़दंग किया वह बदमाशों को भी शर्मसार करने वाला है। यह कैसी भक्ति है ?

solidking5@gmail.com

भीख का पेशा

भीख नाम सुनते ही मन में उन लोगों की आकृति बनती है जो मजबूर, लाचार, काम करने में असमर्थ आदि होते हैं। आज भीख मांगना पेशे का रूप धारण कर रही है। क्या उनके पास रोजगार के पर्याप्त साधन नहीं हैं? यह वे लोग हैं जो दूसरा काम करने की कोशिश ही नहीं करते, जिनके अन्दर मेहनत शब्द ही खत्म हो जाता है। सरकार को विचार करना चाहिए कि क्या भीख मांगना सही है? इस पर रोक लगनी चाहिए।

shadmaw|07@gmail.com

महिलाओं के साथ भेदभाव

केंद्र सरकार एक तरफ जहां अपना व्यापार करने वालों को प्रोत्साहित कर रही है, वहीं सरकारी संस्थाओं में पुरुष प्रधानवादी सोच के चलते महिलाओं को यहां समान अधिकार नहीं दिया जाता है। दिल्ली में कोई भी पुरुष कहीं रेहड़ी या पटरी पर बाजारों में सामान की बिक्री शुरू कर देता है। इसके लिए उन्हें प्रशासन से भी मदद भी मिलती है। इसी मदद का नतीजा है कि पुरुष बाजार में न केवल आसानी से स्थान पा लेते हैं, बल्कि अपना व्यापार भी शुरू कर देते हैं। इससे इतर अगर इसी कार्य को महिलाएं करना चाहें तो उन्हें भेदभाव से गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, कोई महिला अगर बाजार में अपना व्यापार शुरू करने के लिए स्थानीय प्रशासन से जगह की मदद मांगे, तब भी पुरुषों को ही वरीयता दी जाती है। यह स्वस्थ समाज के लिए कतई उचित नहीं हो सकता। स्थानीय नगर निकायों के साथ पुलिस और अन्य प्रशासन को चाहिए कि वह महिलाओं को बाजारों में सामान बेचने की जगह देने के लिए महिलाओं को वरीयता दें। इससे उन महिलाओं को पुरुषों की बराबरी का मौका मिलेगा, जो अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं।

प्रेम वर्मा, करोल बाग, दिल्ली

दूषित होतीं नदियां

लोग तरह-तरह की गंदगी नदियों में फेंक रहे हैं। इसकी वजह से हमारी पवित्र नदियां दूषित हो गई हैं। जिनका पानी हमारे पूर्वज पीते थे आज उसमें नहाने में भी हिचक होती है। लोग पानी की कीमत को क्यों नहीं समझना चाहते? सरकार भी इस तरफ ठोस कदम नहीं उठा रही है। केवल इस मद में कुछ पैसा खर्च कर देने से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए ठोस योजना की जरूरत है, जो नतीजे तक पहुंचे।

आशीष, राम लाल आनंद कॉलेज दिल्ली विवि।

ट्वीट-ट्वीट

चाहे दो रोटी कम खाएं, लेकिन पेट काट कर अपने बच्चों को अंग्रेजी जरूर पढ़ाएं। वे इंडिया में बिना अंग्रेजी दो कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेता हों या अभिनेता, खाते हिंदी का हैं और गाते अंग्रेजी का हैं। वोट के लिए हिंदी और इंटरव्यू के लिए अंग्रेजी। कड़वी मगर सच्ची बात है।

अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

भारतीय क्रिकेट के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? कुछ महीनों बाद हम कोई घरेलू श्रृंखला या विदेश में टेस्ट मैच जीत जाएंगे या आइपीएल की खुमारी सिर चढ़कर बोलेगी जिसमें इंग्लैंड में हो रहा मानमर्दन भुला दिया जाएगा। हमने मुश्किलों से सबक लेने की अपनी क्षमता एकदम गंवा दी है।

निमिष दुबे@nimishdubey

विद्याधर सूरजप्रसाद नायपॉल नहीं रहे। कितने शर्म की बात है कि भारत और भारतीय मूल के तमाम संदिग्ध लोगों को सम्मानित करने वाली भारत सरकार ने नायपॉल और नीरद सी चौधरी को कभी सम्मानित नहीं किया। ये दो ऐसे महान लेखक हैं जिन पर भारत गर्व कर सकता है।

कंचन गुप्ता@KanchanGupta

आप नायपॉल से सहमत हों या असहमत, लेकिन उन्होंने खूबसूरत गद्य की रचना की है। अफसोस कि अब वह इस दुनिया में नहीं हैं और शब्दों की दुनिया ने अपने एक जादूगर को खो दिया।

निर्मला सीतारमण@nsitharaman

जनपथ

बीपी देते हैं बढ़ा जा करके बंगाल,
अमित शाह जी आप भी करते अजब कमाल।
करते अजब कमाल और चिढ़ जातीं दीदी,
दे दें अपना राज नहीं हैं इतनी सीधी।
समझी हैं बंगाल सल्तनत अपनी जेबी,
बढ़ जाता इस हेतु वहां दीदी का बीपी।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 29 अंक 27